

इंडियन एक्स-सर्विसेज लीग और अन्य वगैरह

बनाम

भारत संघ और अन्य वगैरह

29 जनवरी, 1991

[बी.सी. रे, एम.एच. कनिया, के.जगन्नाथ शेट्टी, एल.एम. शर्मा और
जे.एस. वर्मा, जे.जे.]

सेवा-पेंशन नियम: पेंशन-याचिकाकर्ता पूर्व सैनिक-नाकारा के मामले के आधार पर 'एक रैंक, एक पेंशन' के सार में राहत का दावा किया गया-नाकारा की गलत व्याख्या पर दावा कार्यवाही खारिज कर दी गई।

ग्रेच्युटी-समान मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति 01.04.1979 से पहले के सेवानिवृत्त लोगों को 01.04.1979 के बाद के सेवानिवृत्त लोगों के लिए ग्रेच्युटी की मांग-याचिकाएं खारिज-केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972

महंगाई भत्ता-डीए का विलय पिछड़ा-दावा असमर्थनीय

याचिकाकर्ता जो पूर्व सैनिक हैं, उन्होंने डी.एस. नकारा एवं अन्य बनाम भारत संघ के मामले में इस न्यायालय के फैसले के अनुक्रम में संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत ये रिट याचिकाएं दायर की हैं। उनके द्वारा दावा की गई राहत, सार रूप में, हालांकि इतने शब्दों में नहीं कही गई

है, इसका प्रभाव यह है कि नकारा में निर्णय का परिणाम यह है कि सभी सेवानिवृत्त लोग जो अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख के बावजूद समान रैंक रखते हैं, उन्हें समान पेंशन की राशि मिलनी चाहिए और यह वह राशि होनी चाहिए जिसको नकारा में चुनौती दिए गए ज्ञापन (प्रदर्श पी-2) के परिशिष्टों में दिखाया गया था और गणना की गई थी।

इसी तरह इन याचिकाओं में की गई एक प्रार्थना 01.04.1979 से पहले के सेवानिवृत्त लोगों को 01.04.1979 के बाद के सेवानिवृत्त लोगों के समान मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी देने के लिए है।

दूसरा दावा डी.ए. (पिछले/बैकवार्ड) के विलय के लिए किया गया था। नकारा में निर्णय के परिणामस्वरूप एक जी.ओ. संख्या एफ. 1(4)82/डी (पेंशन/सेवाएं) दिनांक 22.11.1983 कमीशन रैंक से नीचे के कर्मियों के संबंध में और दूसरा जी.ओ. संख्या 1(4)/82/1 /डी (पेंशन/सेवाएं) दिनांक 03.12.1983 को कमीशन अधिकारियों के संबंध में उदारीकृत पेंशन योजना दिनांक 28.09.1979 के अनुसार सशस्त्र बलों के 01.04.1979 से पहले के सेवानिवृत्त लोगों की 01.04.1979 की संशोधित पेंशन की पुनर्गणना करते हुए जोरी की गई थी, जैसा कि संशोधित किया गया था। नकारा में फैसला. ये दो जी.ओ. हैं जिन्हें इन याचिकाओं में चुनौती दी गई है।

सभी रिट याचिकाओं को खारिज करते हुए, इस न्यायालय ने,

अभिनिर्धारित : संक्षेप में, भले ही याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ऐसा नहीं कहते हैं, ये तर्क सशस्त्र बलों के सभी सेवानिवृत्त लोगों के लिए 'एक रैंक, एक पेंशन' के दावे के बराबर हैं, भले ही उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख कुछ भी हो। जब तक इस दावे को नकारा में दी गई राहत के रूप में नहीं माना जा सकता, तब तक दावा की गई राहत, भले ही अलग-अलग शब्दों में की गई हो, प्रदान नहीं की जा सकती। [166 एच-167 ए]

इन याचिकाओं में दावा अस्थिर है और यह नकारा फैसले को गलत तरीके से पढ़ने पर आधारित है। नकारा में संविधान पीठ का निष्कर्ष यह था कि उदारीकरण के लाभ और उदारीकृत योजना के अनुसार दी गई सीमा सभी सेवानिवृत्त लोगों को भले ही उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख कुछ भी हो समान रूप से दी जानी चाहिए और उन लाभों को केवल निर्दिष्ट तिथि पर या उसके बाद सेवानिवृत्त व्यक्तियों तक ही सीमित नहीं किया जा सकता है। क्योंकि उदारीकृत पेंशन के लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से सभी सेवानिवृत्त लोग अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख की परवाह किए बिना एक वर्ग का गठन करते हैं। इस निष्कर्ष को प्रभावी बनाने के लिए दी गई एकमात्र राहत ज्ञापन के उस हिस्से को रद्द करना था जिसके द्वारा उदारीकृत पेंशन योजना का लाभ केवल निर्दिष्ट तिथि पर या उसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले व्यक्तियों तक ही सीमित था, जिसके परिणामस्वरूप लाभ सभी सेवानिवृत्त लोगों तक बढ़ाया गया था। , चाहे उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख कुछ भी हो। एक बार जब नकारा में निर्णय की यह स्थिति

ध्यान में आ जाती है, तो याचिकाकर्ता के तर्क में भ्रान्ति स्पष्ट हो जाती है और केवल नकारा पर आधारित उनका दावा अस्थिर हो जाता है। [167 डी-जी]

उस निर्णय के अनुसार, पूर्व के सभी सेवानिवृत्त लोगों की पेंशन की गणना गणना के उदारीकृत फॉर्मूले के अनुसार निर्दिष्ट तिथि पर की जानी थी। इस प्रयोजन के लिए योजना के तहत पहले सेवानिवृत्त लोगों की परिलब्धियों में कोई संशोधन नहीं किया गया था। यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि 'यदि पेंशनभोगी एक वर्ग बनाते हैं, तो उनकी गणना केवल इस आधार पर असमान व्यवहार को ध्यान में रखते हुए अलग-अलग फॉर्मूले से नहीं की जा सकती कि कुछ पहले सेवानिवृत्त हुए और कुछ बाद में सेवानिवृत्त हुए।'

हमारे अनुसार यह नकारा का फैसला है और कुछ नहीं। निर्णय के लिए प्रश्न यह है कि क्या याचिकाकर्ता का दावा उस निर्णय से प्रेरित है और नकारा में ऐसे दावे का समर्थन करने के लिए कुछ भी नहीं है। सेवानिवृत्त लोगों के सभी दावों को कवर करने के लिए उस निर्णय के दायरे को बढ़ाने की कोई गुंजोइश नहीं है या सेवानिवृत्ति की तारीख के बावजूद एक ही रैंक से प्रत्येक सेवानिवृत्त व्यक्ति के लिए समान राशि की पेंशन की मांग की गई है, भले ही गणना के प्रयोजन के लिए उनकी पेंशन की गणना योग्य परिलब्धियां अलग-अलग हो। [168 सी-डी, एफ, 169 बी]

ग्रेच्युटी के लिए दावा केवल सेवानिवृत्ति की तारीख पर उस समय प्राप्त वेतन के आधार पर किया जा सकता है और पहले ही भुगतान किया जा चुका है, उस आधार पर लेनदेन पूरा हो चुका है और बंद हो चुका है। बाद में सेवानिवृत्त होने वाले व्यक्तियों के लिए बाद की तारीख में की गई वृद्धि के परिणामस्वरूप इसे फिर से नहीं खोला जा सकता। [172 जी-एच]

01.01.1973 से पेंशन के अतिरिक्त सभी को डी.ए. का भुगतान किया जा रहा है। गणना योग्य परिलब्धियाँ जो पेंशन की गणना का आधार हैं, सेवानिवृत्ति के समय देय परिलब्धियों के आधार पर ली जाती हैं और इसलिए, डी.ए. को शामिल करने का कोई आधार नहीं है, उस समय जब इसका भुगतान नहीं किया गया था। [173 बी]

डी.एस. नकारा और अन्य बनाम भारत संघ, [1982] 2 एससीआर 165; कृष्ण कुमार और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य, [1990] 4 एससीसी 207; श्रीमती पूनामल एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य, [1965] 3 एससीसी 345; राज्य सरकार पेंशनर्स एसोसिएशन और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, [1986] 3 एससीसी 501 और भारत संघ बनाम बिधुब-हुशन मलिक और अन्य, [1984] 3 एससीसी 95, संदर्भित।

मूल क्षेत्राधिकार: रिट याचिका क्रमांक 13550-55, 1984

साथ

1985 की रिट याचिका संख्या 547-50 और 4524,

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत)

जी. विश्वनाथ अय्यर, के.एल. राठी, एस. बालाकृष्णन, एस. प्रसाद और एस.के. सिन्हा याचिकाकर्ताओं की ओर से ।

अशोक एच.देसाई, सॉलिसिटर जनरल, अरुण जेटली, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, मनिंदर सिंह, सुश्री अनिल कटियार, सी.वी.एस. राव और राजन नारायण उत्तरदाताओं की ओर से ।

न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय

निर्णय

वर्मा, जे. :- पूर्व सैनिकों की ये रिट याचिकाएं डी.एस.नाकारा बनाम भारत संघ, (1983) 2 एससीआर 165 के फैसले की अगली कड़ी हैं, जिसमें दावा की गई राहतें पूरी तरह से नकारा मामले में दिए गए फैसले पर आधारित हैं। इसलिए, निर्णय का वास्तविक बिंदु यह है कि क्या इन रिट याचिकाओं में दावा की गई राहतें नकारा में निर्णय के लिए आवश्यक परिणाम के रूप में प्रवाहित होती हैं। यह इन रिट याचिकाओं में दावा की गई राहत का एकमात्र आधार है, याचिकाकर्ता केवल तभी सफल हो सकते हैं जब उनकी यह धारणा सही हो। 1984 की रिट याचिका संख्या 13550-55 उन पूर्व सैनिकों द्वारा हैं कमीशन रैंक से सेवानिवृत्त हुए थे। जबकि 1985 की रिट याचिका सं. 547-50 उन लोगों की हैं जो कमीशन रैंक से नीचे सेवानिवृत्त हुए हैं। 1985 की रिट याचिका संख्या 4524, एक भूतपूर्व

सैनिक की है जो डाक द्वारा प्राप्त हुई है और काफी हद तक उसी प्रभाव की है। रिट याचिकाओं के पहले दो सेटों में याचिकाकर्ता नंबर 1 पूर्व सैनिकों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक सोसायटी है, जबकि इन रिट याचिकाओं में अन्य याचिकाकर्ता सशस्त्र बलों के तीन अंगों, अर्थात् सेना, नौसेना और वायु सेना के पूर्व सैनिक हैं। इन रिट याचिकाओं में तर्कों का मूल्यांकन करने के लिए, पहले डी. एस. नकारा बनाम भारत संघ, (1983) 2 एससीआर 165 में दिए गए निर्णय का संक्षेप में उल्लेख करना उचित होगा।

25 मई, 1979 को, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय ने कार्यालय ज्ञापन संख्या F-19(3)-EV-79 जोरी किया, जिसके तहत पेंशन की गणना के फार्मूले को उदार बनाया गया, लेकिन इसे केवल उन सिविल सेवकों पर लागू किया गया जो 31 मार्च, 1979 को सेवा में थे और उस तिथि को या उसके बाद सेवा से सेवानिवृत्त हुए। उदारीकृत पेंशन फार्मूले ने एक स्लैब प्रणाली शुरू की, सीमा बढ़ा दी और पेंशन की गणना के लिए परिलब्धियों का बेहतर औसत प्रदान किया और उदारीकृत योजना को केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 द्वारा शासित कर्मचारियों पर निर्दिष्ट तिथि या उसके बाद सेवानिवृत्त होने पर लागू किया गया। सशस्त्र बल कर्मियों के लिए पेंशन प्रासंगिक नियमों द्वारा शासित होती है। रक्षा मंत्रालय के ज्ञापन संख्या बी/40725/एजी/पीएस 4-सी/1816/एडी (पेंशन)/सेवाएँ दिनांक 28 सितंबर, 1979 द्वारा 1972 के नियमों द्वारा शासित सिविल सेवकों के लिए

पेश किए गए उदारीकृत पेंशन फॉर्मूले को ज्ञापन में निर्धारित सीमाओं के अधीन सशस्त्र बल कर्मियों तक बढ़ा दिया गया था, इस शर्त के साथ कि पेंशन के नए नियम 1 अप्रैल, 1979 से प्रभावी होंगे। और यह उन सभी सेवा अधिकारियों पर लागू होगा जो उस तारीख को या उसके बाद अप्रभावी हो गए हैं। ये ज्ञापन नकारा में प्रदर्श पी-1 व प्रदर्श पी-2 थे। नतीजतन, उदारीकृत पेंशन फार्मूला केवल उन लोगों के लिए भावी रूप से लागू किया गया था जो 1972 नियमों के तहत आने वाले सिविल सेवकों के मामले में 31 मार्च, 1979 को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए थे और सशस्त्र बल कर्मियों के संबंध में जो 1 अप्रैल, 1979 को या उसके बाद अप्रभावी हो गए थे। परिणाम यह हुआ कि जो लोग निर्दिष्ट तिथि से पहले सेवानिवृत्त हुए, वे ज्ञापन में निर्दिष्ट सेवानिवृत्ति की कट-ऑफ तिथि के मद्देनजर उदारीकृत पेंशन फॉर्मूले के लाभ के हकदार नहीं थे। इसके चलते सेवानिवृत्त सिविल सेवकों और सशस्त्र बलों के कर्मियों की ओर से डी.एस. नकारा और अन्य ने रिट याचिका दायर की, जिसमें यह तर्क दिया गया कि पेंशन की गणना के लिए संशोधित फॉर्मूले द्वारा सेवानिवृत्ति की तारीख से संबंधित पेंशनभोगियों के साथ विभेदक व्यवहार भेदभावपूर्ण और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन था। नकारा में निर्णय के लिए प्रश्न यह था कि क्या सेवानिवृत्ति की तारीख पात्रता के लिए एक प्रासंगिक विचार है जब पेंशन की गणना के लिए एक उदारीकृत पेंशन फॉर्मूला पेश किया जाता है और एक निर्दिष्ट तिथि से प्रभावी किया जाता है जिसके परिणामस्वरूप

निर्दिष्ट तिथि से पहले सेवानिवृत्त हो गए थे। पेंशनभोगियों को उदारीकृत पेंशन फॉर्मूला के लाभों से वंचित कर दिया जाता है।

नकारा में इस न्यायालय की एक संविधान पीठ (एआईआर 1983 एससी 130) ने पेंशन की अवधारणा पर विस्तृत चर्चा के बाद स्थिति को इस प्रकार संक्षेप में प्रस्तुत किया: -

"भारत में प्रशासित सरकार के सिविल कर्मचारियों और रक्षा कर्मियों को दी जाने वाली पेंशन अतीत में प्रदान की गई सेवा का मुआवजो प्रतीत होती है..... (हटाना है या नहीं)

"भारत में प्रशासित सरकार के सिविल कर्मचारियों और रक्षा कर्मियों को दी जाने वाली पेंशन अतीत में प्रदान की गई सेवा के लिए एक मुआवजो प्रतीत होती है..... संक्षेप में यह विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि पेंशन न केवल अतीत में प्रदान की गई निष्ठावान सेवा के लिए मुआवजो है, बल्कि पेंशन का व्यापक महत्व भी है, क्योंकि यह सामाजिक-आर्थिक न्याय का एक उपाय है जो जीवन के पतन में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है जब उम्र बढ़ने के साथ शारीरिक और मानसिक शक्ति कम हो रही होती है। प्रक्रिया और, इसलिए, किसी को बचत पर निर्भर रहना

आवश्यक है। ऐसी ही एक बचत वह है जब आपने जीवन के सुनहरे दिनों में अपने नियोक्ता को अपना सर्वश्रेष्ठ दिया, अमान्यता के दिनों में, समय-समय पर भुगतान के माध्यम से आर्थिक सुरक्षा का आश्वासन दिया जाता है इस शब्द को न्यायिक रूप से पिछली सेवा या सेवा से सेवानिवृत्त किसी व्यक्ति के अधिकारों या परिलब्धियों के समर्पण पर दिए गए कथित भत्ते या वजीफे के रूप में परिभाषित किया गया है। इस प्रकार एक सरकारी कर्मचारी को देय पेंशन लंबी और कुशल सेवा प्रदान करके अर्जित की जाती है और इसलिए इसे मुआवज़े का या प्रदान की गई सेवा का आस्थगित भाग कहा जा सकता है। एक वाक्य में कोई यह कह सकता है कि पेंशन का सबसे व्यावहारिक कारण बुढ़ापे के कारण स्वयं का भरण-पोषण करने में असमर्थता है। कोई जीवित रह सकता है और बेरोजगारी से बच सकता है, लेकिन बुढ़ापे और दरिद्रता से नहीं, अगर सहारा लेने के लिए कुछ न हो।

इस प्रकार पेंशन योजना या पेंशन योजना शुरू करने वाले क़ानून के अंतर्निहित स्पष्ट उद्देश्य को व्याख्यात्मक प्रक्रिया को सूचित करना चाहिए और तदनुसार इसे एक उदार निर्माण प्राप्त करना चाहिए और अदालतें इस तरह के क़ानून की इतनी व्याख्या नहीं कर सकती हैं कि उन्हें

निरर्थक बना दिया जोए (अमेरिकी न्यायशास्त्र 2nd 881 देखें)।"

1. उपर्युक्त के अनुसार पेंशन की अवधारणा को संक्षेप में प्रस्तुत करने के बाद, संविधान पीठ ने उस मामले में याचिकाकर्ताओं की चुनौती को सामने रखा और संकेत दिया कि चुनौती केवल योजना के उस हिस्से तक थी जिसके द्वारा इसका लाभ उन लोगों तक ही सीमित था निश्चित दिनांक बाद जो सेवा से सेवानिवृत्त हुए थे। हालांकि, निस्संदेह योजना का लाभ संबंधित सरकारी सेवकों की सेवानिवृत्ति की तारीख के बावजूद निर्दिष्ट तिथि से ही उपलब्ध है, यह बताया गया कि सभी पेंशनभोगी, उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख के बावजूद, लाभ देने के लिए एक वर्ग का गठन करते हैं। उदासीकृत पेंशन योजना और इस उद्देश्य के लिए उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख के संदर्भ में उनके भीतर कोई और वर्गीकरण स्वीकार्य नहीं है। यह इस प्रकार कहा गया:-

"यदि यह निर्विवाद प्रतीत होता है, जैसा कि हमारे लिए होता है कि पेंशन लाभ के उद्देश्य से पेंशनभोगी एक वर्ग बनाते हैं, तो क्या इसके ऊपर की ओर संशोधन एक सजोतीय वर्ग को मनमाने ढंग से संशोधन के उद्देश्य से असंबंधित पात्रता मानदंड तय करके विभाजित करने की अनुमति देगा, और होगा ऐसा वर्गीकरण किसी तर्कसंगत

सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए? वर्गीकरण, जैसा कि अच्छी तरह से तय है, कुछ तर्कसंगत सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए और तर्कसंगत सिद्धांत को प्राप्त की जाने वाली वस्तुओं के साथ संबंध होना चाहिए। हमने भुगतान के अंतर्निहित उद्देश्यों को निर्धारित किया है पेंशन। यदि राज्य ने पेंशन योजना को उदार बनाना आवश्यक समझा, तो हमें इसके पीछे कोई तर्कसंगत सिद्धांत नहीं मिला कि ये लाभ केवल उन लोगों को दिया जाए जो उस तारीख के बाद सेवानिवृत्त हुए, साथ ही उन लोगों को भी लाभ देने से इनकार कर दिया जो उस तारीख से पहले सेवानिवृत्त हुए थे। यदि उदारीकरण सरकारी कर्मचारियों को बुढ़ापे में सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए आवश्यक माना गया था, फिर जो लोग पहले सेवानिवृत्त हुए, उनकी स्थिति बाद में सेवानिवृत्त होने वालों से बदतर नहीं हो सकती। इसलिए, यह विभाजन जिसने पेंशनभोगियों को दो वर्गों में वर्गीकृत किया है, किसी तर्कसंगत सिद्धांत पर आधारित नहीं है और यदि तर्कसंगत सिद्धांत पेंशनभोगियों को समान स्थिति वाले व्यक्तियों को कुछ और देने की दृष्टि से विभाजित करने में से एक है, तो यह भेदभावपूर्ण होगा। कृत्रिम विभाजन सीधे तौर पर सामने आता है और किसी भी सिद्धांत से असंबंधित

है और जो भी सिद्धांत है, यदि कोई है, तो उसका पेंशन योजना को उदार बनाने के उद्देश्य से कोई संबंध नहीं है। वास्तव में इस मनमाने विभाजन का न केवल उदारीकृत पेंशन योजना से संबंध है, बल्कि यह अनुत्पादक है और पेंशन योजना के संपूर्ण दायरे के विपरीत है। अनु..14 में समान व्यवहार की गारंटी दी गई है, का पूरी तरह से उल्लंघन किया गया है क्योंकि पेंशन नियमों का चरित्र वैधानिक है, निर्दिष्ट तिथि के बाद से, नियम पेंशन के रूपान्तरण के मामले में समान लोगों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार करते हैं। सेवानिवृत्ति के मामले में 48 घंटे का अंतर एक दर्दनाक प्रभाव होगा। इस प्रकार विभाजन मनमाना और सिद्धांतहीन दोनों है। इसलिए, वर्गीकरण अनुच्छेद 14 की कसौटी पर खरा नहीं उतरता।”

(जोर दिया गया)

इसके बाद निर्णय यह दर्शाने के लिए आगे बढ़ा कि सभी सेवानिवृत्त लोगों को उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख के बावजूद उदारीकृत पेंशन योजना का लाभ देने में कोई कठिनाई या असमानता नहीं थी, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है: -

“..... यह मानते हुए कि सरकार ने निर्दिष्ट तिथि निर्धारित नहीं की है और इस प्रकार यह प्रावधान किया है कि निर्दिष्ट तिथि से पहले और बाद में सेवानिवृत्त होने वाले सभी लोग उदारीकृत पेंशन योजना द्वारा शासित होंगे, निस्संदेह, यह संभावित और पूर्वव्यापी दोनों होगा केवल उदारीकृत पेंशन योजना में अधिनियमित फार्मूले के आलोक में पेंशन की पुनर्गणना की जाएगी और संशोधित योजना लागू होने की तारीख से प्रभावी होगी। और सावधान रहें कि यह एक नई योजना नहीं है, यह केवल मौजूदा योजना का एक संशोधन है। यह कोई नया सेवानिवृत्ति लाभ नहीं है। यह मौजूदा लाभ का ऊपर की ओर संशोधन है। यदि यह एक पूरी तरह से नई अवधारणा होती, तो एक नया सेवानिवृत्ति लाभ हो सकता था। इस तर्क की सराहना की कि जो लोग पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके थे, वे ऐसा कर सकते थे। इसकी उम्मीद मत करो.....

"यह बहुत गंभीरता से तर्क दिया गया था, तिथि से संबंधित घटना को हटा दें और जाँच करें कि क्या योजना व्यावहारिक है। हमें पेंशन की गणना के लिए अधिक मानवीय फार्मूले को बनाए रखते हुए निर्दिष्ट तिथि के बाद होने वाली घटना को छोड़कर योजना को लागू करने में कोई

कठिनाई नहीं है। यह सभी मौजूदा पेंशनभोगियों और भविष्य के पेंशनभोगियों के लिए लागू होगा।

मौजूदा पेंशनभोगियों के मामले में, नियम 34 में निर्धारित औसत परिलब्धियों के नियम को लागू करके और स्लैब प्रणाली शुरू करके और निचली सीमा और उपरी सीमा के भीतर गणना की गई राशि को लागू करके पेंशन की पुनर्गणना करनी होगी।

लेकिन हम यह बिल्कुल स्पष्ट कर देते हैं कि बकाया चुकाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उस सीमा तक योजना भविष्यलक्षी है। सभी पेंशनभोगी जब भी सेवानिवृत्त होंगे, उन्हें उदारीकृत पेंशन योजना के अंतर्गत कवर किया जाएगा, क्योंकि यह योजना 1972 के नियमों द्वारा शासित पेंशनभोगी को पेंशन भुगतान की एक योजना है। सेवानिवृत्ति की तारीख अप्रासंगिक है। लेकिन संशोधित योजना, योजना में उल्लिखित तिथि से लागू होगी और सभी मौजूदा पेंशनभोगियों और उस तिथि के बाद सेवानिवृत्त होने वाले लोगों को इसके दायरे में लाएगी। निर्दिष्ट तिथि से पहले पेंशनभोगियों के मामले में, उनकी पेंशन की गणना नए सिरे से की जाएगी और भविष्य में निर्दिष्ट तिथि से शुरू होकर

देय होगी। कोई बकाया देय नहीं होगा. और इससे पूर्वव्यापीता की शिकायत दूर हो जाएगी। हमारी राय में, इससे पूर्व पेंशनभोगियों के मामले में मामूली अंतर आएगा क्योंकि परिलब्धियों को संशोधित नहीं किया गया है। "

(जोर दिया गया)

तब यह बताया गया कि योजना के मनमाने और भेदभावपूर्ण हिस्से को हटाने में कोई कठिनाई नहीं है, जो कि केवल निर्दिष्ट तिथि के बाद सेवानिवृत्त लोगों के लिए इसकी प्रयोज्यता को सीमित करने वाला हिस्सा है क्योंकि इसे आसानी से अलग किया जा सकता है। यह माना गया कि उदारीकृत पेंशन योजना के कार्यान्वयन के लिए निर्दिष्ट तिथि को बनाए रखना उचित और सही होगा, जबकि इसे सभी पेंशनभोगियों पर समान रूप से लागू किया जाएगा, भले ही उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख कुछ भी हो, प्रत्येक की पेंशन को निर्दिष्ट तिथि के अनुसार पुनः गणना करने की आवश्यकता होगी। भविष्य में भुगतान उदारीकृत पेंशन योजना के तहत नई गणना के अनुसार किया जाना चाहिए जैसा कि विवादित जापान में अधिनियमित किया गया है। इस प्रकार सभी सेवानिवृत्त लोगों को उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख के बावजूद उदारीकृत पेंशन के लाभों के हकदार एक वर्ग के रूप में माना जाता था, जिसे उदारीकृत फार्मूले के अनुसार निर्दिष्ट तिथि पर पुनः गणना की जाती थी, जिसमें संशोधित राशि की निर्दिष्ट

तिथि से भुगतान की आवश्यकता होती थी। . दूसरे शब्दों में, उदारीकृत पेंशन फार्मूले का लाभ सभी सेवानिवृत्त लोगों को उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख की परवाह किए बिना समान रूप से दिया गया था और इस उद्देश्य के लिए प्रत्येक सेवानिवृत्त व्यक्ति की वास्तविक सेवानिवृत्ति की तिथि पर देय परिलब्धियों के आधार पर निर्दिष्ट तिथि के अनुसार पुनर्गणना की जानी आवश्यक थी। नकारा में दी गई अंतिम राहत (एआईआर 1983 एससी 130) इस प्रकार है:-

"असंवैधानिक भाग को छोड़ते हुए यह घोषित किया जाता है कि 1972 के नियमों और सेना पेंशन विनियमों द्वारा शासित सभी पेंशनभोगी, सेवानिवृत्ति की तारीख की परवाह किए बिना, निर्दिष्ट तिथि से उदारीकृत पेंशन योजना के तहत गणना के अनुसार पेंशन के हकदार होंगे। ताजो गणना के अनुसार निर्दिष्ट तिथि से पहले पेंशन का बकाया स्वीकार्य नहीं है। इस आशय की एक रिट जोरी की जाए।"

(जोर दिया गया)

कमीशन रैंक के नीचे दिए गए सशस्त्र बलों के कर्मियों के संबंध में नकारा (एआईआर 1983 एससी 130) निर्णय के परिणामस्वरूप जी.0. संख्या एफ. 1(4)/82/डी (पेंशन/सेवाएं) दिनांक 22-11-1983 में और जी.ओ. नंबर 1(4)/82/1/डी (पेंशन/सेवाएं) दिनांक 3-12-1983 कमीशन

अधिकारियों के संबंध में उदारीकृत पेंशन योजना के अनुसार 1-4-1979 को सशस्त्र बलों के सेवानिवृत्तों को 1-4-1979 पूर्व की संशोधित पेंशन की पुनर्गणना करते हुए भारत सरकार द्वारा जोरी किया गया है। यह पुनर्गणना ज्ञापन संख्या बी/40725/एजी/पीएस 4-सी/1816/एडी (पेंशन/सेवाएं) दिनांक 28-9-1979 में निहित उदारीकृत पेंशन योजना के अनुसार की गई है, क्योंकि इसमें नकारा निर्णय द्वारा आंशिक रूप से संशोधित किया गया था। नकारा ने सभी सेवानिवृत्त लोगों को उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख की परवाह किए बिना उदारीकृत पेंशन योजना का समान लाभ देने के फैसले को लागू किया। यह ये दो जी.ओ. हैं जिसे वर्तमान रिट याचिकाओं में चुनौती दी गई है। अब हम इन रिट याचिकाओं में उठाए गए तर्कों को बता सकते हैं।

कमीशन रैंक से सेवानिवृत्त होने वाले सशस्त्र बल कर्मियों का प्रतिनिधित्व श्री जी विश्वनाथ आयर ने किया, जबकि कमीशन रैंक से नीचे के रैंक से सेवानिवृत्त होने वाले सशस्त्र बल कर्मियों का प्रतिनिधित्व श्री के एल राठी ने किया। दोनों के तर्क काफी हद तक एक जैसे हैं। याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील के अनुसार, नकारा (एआईआर 1983 एससी 130) में निर्णय का परिणाम यह है कि सभी सेवानिवृत्त लोग जो अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख के बावजूद समान रैंक रखते हैं, उन्हें पेंशन की समान राशि मिलनी चाहिए और यह वह राशि होनी चाहिए जिसे और नकारा में चुनौती दिए गए ज्ञापन (उदा. पी-2) के परिशिष्टों में दिखाया

गया है और गणना की गई। बेशक, उस जापन के परिशिष्ट में 1-4-1979 को या उसके बाद सेवानिवृत्त लोगों के विभिन्न रैंकों के लिए पेंशन की गणना 1-4-1979 को गणना योग्य परिलब्धियों के आधार पर निर्दिष्ट की गई थी। यह भी स्वीकार किया गया है कि 1-4-1979 से पहले के सेवानिवृत्त लोगों की उदारीकृत पेंशन योजना के अनुसार पेंशन की पुनर्गणना के लिए समान आधार प्रदान करने के लिए पहले की तारीखों में संबंधित रैंक के लिए गणना योग्य परिलब्धियाँ समान नहीं थीं। संक्षेप में, भले ही याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ऐसा नहीं कहते हैं, ये तर्क सशस्त्र बलों के सभी सेवानिवृत्त लोगों के लिए एक रैंक, एक पेंशन के दावे के बराबर हैं, भले ही उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख कुछ भी हो। यह भी स्वीकार किया गया है कि इस उदारीकृत पेंशन योजना से पहले, एक ही रैंक से सेवानिवृत्त लोगों की पेंशन राशि उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख के बावजूद समान नहीं थी या दूसरे शब्दों में, एक रैंक, एक पेंशन का सिद्धांत पहले लागू नहीं होता था। . बार में कहा गया कि वन रैंक, वन पेंशन की मांग एक अलग मुद्दे के रूप में भारत सरकार के विचाराधीन है। इसलिए, यह स्पष्ट है कि जब तक याचिकाकर्ता:

एक रैंक, एक पेंशन के दावे को नकारा में दी गई राहत से प्रवाहित माना जा सकता है, इन याचिकाओं में दावा की गई राहतें अलग-अलग शब्दों में की गई हैं, लेकिन उन्हें मंजूर नहीं किया जा सकता है। यही कारण है कि विद्वान वकील ने यहां दावा की गई राहतों को एक रैंक, एक

पेंशन के दावे के रूप में वर्णित करने से परहेज किया, भले ही वे हमें यह बताने में असमर्थ थे कि इन याचिकाओं में दावा की गई राहतों को अलग तरीके से कैसे समझा जा सकता है।

विद्वान सॉलिसिटर जनरल ने उत्तर में तर्क दिया कि आक्षेपित जी.ओ.एस. वर्तमान मामले में नाकारा (एआईआर 1983 एससी 130) में निर्णय के कार्यान्वयन में जोरी किए गए थे और नकारा निर्णय के आधार पर उन्हें चुनौती देना अस्थिर है। विद्वान सॉलिसिटर जनरल ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ताओं का दावा नाकारा की गलत व्याख्या से उत्पन्न हुआ है और इसमें सामान्य टिप्पणियों को उस संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए जिसमें वे किए गए थे। विद्वान सॉलिसिटर जनरल ने पूरी निष्पक्षता से प्रस्तुत किया कि भारत सरकार के इस रुख के बावजूद, यदि संशोधित पेंशन की पुनर्गणना में कोई त्रुटि बताई जाती है, तो भारत सरकार तुरंत त्रुटि को ठीक कर देगी, यदि कोई हो, क्योंकि वह केवल हिसाब-किताब की एक बात है।

दोनों पक्षों को विस्तार से सुनने और मामले पर गंभीरता से विचार करने के बाद, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि वर्तमान रिट याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं का दावा अस्थिर है और यह नकारा के फ़ैसले (एआईआर 1983 एससी 130) की गलत व्याख्या पर आधारित है।

नकारा में संविधान पीठ का निष्कर्ष यह था कि उदारीकरण के लाभ और उदारीकृत पेंशन योजना के अनुसार दी गई सीमा सभी सेवानिवृत्त लोगों को उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख के बावजूद समान रूप से दी जानी चाहिए और उन लाभों को केवल व्यक्तियों तक ही सीमित नहीं किया जा सकता है। जो निर्दिष्ट तिथि को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए हैं क्योंकि पेंशन में उदारीकरण के लाभ देने के उद्देश्य से, सभी सेवानिवृत्त लोगों को उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख की परवाह किए बिना एक वर्ग का गठन किया जाता है। इस निष्कर्ष को प्रभावी बनाने के लिए दी गई एकमात्र राहत जापन के उस हिस्से को रद्द करना था जिसके द्वारा उदारीकृत पेंशन योजना का लाभ केवल निर्दिष्ट तिथि पर या उसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले व्यक्तियों तक ही सीमित था, जिसके परिणामस्वरूप लाभ बढ़ाया गया था। सभी सेवानिवृत्त लोगों के लिए, चाहे उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख कुछ भी हो। एक बार जब नकारा में फैसले से उभरी इस स्थिति को ध्यान में रखा जाता है, तो इन रिट याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं के तर्क में भ्रान्ति स्पष्ट हो जाती है और केवल नकारा पर आधारित उनका दावा अस्थिर है।

उदारीकृत पेंशन योजना जिसके संदर्भ में नकारा (एआईआर 1983 एससी 130) में निर्णय दिया गया था में अधिक उदार फार्मूले के अनुसार पेंशन की गणना के लिए प्रावधान किया गया था जिसके तहत "औसत परिलब्धियां" पिछले दस महीनों के वेतन के संदर्भ में निर्धारित की गई थीं। पहले प्रदान किए गए 36 महीने के वेतन के बजाय एक उच्च औसत

प्राप्त करना, एक स्लैब प्रणाली के साथ मिलकर और पेंशन के लिए अधिकतम सीमा बढ़ाना। इस न्यायालय ने माना कि जहां पेंशन की गणना के तरीके को एक निर्दिष्ट तिथि से उदार बनाया जाता है, तो इसका लाभ न केवल उस तिथि के बाद के सेवानिवृत्त लोगों को दिया जाना चाहिए, बल्कि पहले से मौजूद सेवानिवृत्त लोगों को भी दिया जाना चाहिए, भले ही सेवानिवृत्ति की तारीख कुछ भी हो हालांकि उदारीकृत फार्मूले के अनुसार की गई संशोधित गणना के आधार पर निर्दिष्ट तिथि से पहले के सेवानिवृत्त लोगों को ऐसा न हो। पहले किसी भी बकाया के हकदार नहीं होंगे। ऐसी योजना के प्रयोजन के लिए सभी मौजूदा सेवानिवृत्त लोगों को, उनकी सेवानिवृत्ति की परवाह किए बिना, एक वर्ग का गठन करने के लिए माना गया था, उस वर्ग के भीतर कोई भी और विभाजन अस्वीकार्य था। उस निर्णय के अनुसार, पहले के सभी सेवानिवृत्त लोगों की पेंशन की गणना सेवानिवृत्ति की तारीख पर देय प्रत्येक सेवानिवृत्त व्यक्ति की औसत परिलब्धियों के आधार पर गणना के उदारीकृत फार्मूले के अनुसार निर्दिष्ट तिथि पर की जानी थी। इस प्रयोजन के लिए योजना के तहत पहले सेवानिवृत्त लोगों की परिलब्धियों में कोई संशोधन नहीं किया गया था। यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि यदि पेंशनभोगी एक वर्ग बनाते हैं, तो उनकी गणना केवल इस आधार पर असमान व्यवहार को ध्यान में रखते हुए अलग-अलग फॉर्मूले से नहीं की जा सकती कि कुछ पहले सेवानिवृत्त

हुए और कुछ बाद में सेवानिवृत्त हुए। हमारे अनुसार यह नकारा का फैसला है और कुछ नहीं।

आमतौर पर, नकारा (एआईआर 1983 एससी 130) निर्णय के सार को बिना व्यापक रूप से उद्धृत किए उल्लेख करना पर्याप्त होगा। हालाँकि, हमने ऐसा इस कारण से किया है कि सैन्य अधिकारियों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री जी. विश्वनाथ आयर की भावपूर्ण दलील, जिसे सशस्त्र बलों के शेष रैंकों की ओर से उपस्थित श्री के.एल. राठी द्वारा एक अतिरिक्त भावनात्मक अपील के साथ दोहराया गया था, प्रतीत होता है सुझाव है कि याचिकाकर्ताओं के दावे को अस्वीकार करना नकारा निर्णय को गलत तरीके से पढ़ने और उससे मिलने वाली तार्किक राहत से इनकार करने के समान है। इस गलत धारणा को दूर करने के लिए ही हमने नाकारा से कुछ हद तक उद्धरण दिया है। हमें केवल यह तय करना है कि याचिकाकर्ता का दावा नाकारा में दिए गए फैसले से मेल खाता है या नहीं और हम ऐसे दावे का समर्थन करने के लिए नाकारा में कुछ भी नहीं ढूँढ पा रहे हैं।

नकारा (एआईआर 1983 एससी 130) का निर्णय हाल ही में कृष्ण कुमार व अन्य बनाम भारत संघ (1990 4 एससीसी 207) मामले में एक अन्य संविधान पीठ के समक्ष विचार के लिए आया। उस मामले में याचिकाकर्ता सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारी थे जो रेलवे अंशदायी भविष्य निधि

योजना के अंतर्गत आते थे या इसका विकल्प चुनते थे। यह माना गया कि पी.एफ. सेवानिवृत्त और पेंशन सेवानिवृत्त लोग अलग-अलग वर्ग का गठन करते हैं और नकारा में ऐसा कभी नहीं हुआ कि पेंशन सेवानिवृत्त और पी.एफ. सेवानिवृत्त लोगों ने एक सजोतीय वर्ग का गठन किया, भले ही अकेले पेंशन सेवानिवृत्त लोगों ने एक सजोतीय वर्ग का गठन किया, जिसके भीतर उदारीकृत पेंशन योजना के उद्देश्य के लिए किसी भी अतिरिक्त वर्ग अधिसूचना की अनुमति नहीं थी। यह बताया गया कि नकारा में, यह निर्णय लेने की कभी आवश्यकता नहीं थी कि सभी उद्देश्यों के लिए सभी सेवानिवृत्त एक ही वर्ग से हों और आगे कोई वर्गीकरण स्वीकार्य नहीं था। हमने इस निर्णय का उल्लेख केवल यह इंगित करने के लिए किया है कि इस न्यायालय की एक अन्य संविधान पीठ ने भी नकारा निर्णय को सीमित अनुप्रयोग के रूप में पढ़ा है और पेंशन सेवानिवृत्त लोगों द्वारा किए गए सभी दावों या मांग को कवर करने के लिए उस निर्णय के दायरे को बढ़ाने की कोई गुंजोइश नहीं है। सेवानिवृत्ति की तारीख की परवाह किए बिना समान रैंक के प्रत्येक सेवानिवृत्त व्यक्ति को पेंशन की एक समान राशि के लिए, भले ही उनकी पेंशन की गणना के उद्देश्य से गणना योग्य परिलब्धियां अलग-अलग हों।

याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा नकारा (एआईआर 1983 एससी 130) के इस अर्थ को केवल नागरिक सेवानिवृत्त लोगों तक ही सीमित रखने का प्रयास किया गया था। दलील दी गई कि पूर्व सैनिकों के मामले

में स्थिति अलग है। यह आग्रह किया गया था कि पूर्व सैनिकों के लिए, प्रासंगिक ज्ञापन (प्रदर्श पी-2) दिनांक 28-05-1979 जिसमें प्रत्येक रैंक के लिए पेंशन की गणना दर्शाने वाले परिशिष्ट शामिल थे, को 01-04-1979 से पहले के लिए समान रूप से लागू किया जाना चाहिए। सेवानिवृत्त लोगों के लिए, क्योंकि ज्ञापन में एकमात्र भाग आपत्तिजनक कट-ऑफ तारीख को हटा दिया गया था, जो निर्दिष्ट तिथि के बाद सेवानिवृत्त होने वाले लोगों को उदारीकृत पेंशन योजना के लाभों के अनुदान को सीमित करता था। हमारी राय में पूर्व सैनिकों के मामले में ऐसा कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। 28-09-1979 के ज्ञापन के अवलोकन से पता चलता है कि यह सिविल सेवकों के लिए पेंशन फॉर्मूले के उदारीकरण की परिणामी कार्रवाई थी, जिसमें सशस्त्र बलों को बिना किसी अतिरिक्त लाभ के समान लाभ दिया गया था। इस ज्ञापन के परिशिष्ट ए, बी और सी में केवल संशोधित उदारीकृत पेंशन फॉर्मूले के अनुसार प्रत्येक रैंक के लिए की गई पेंशन की गणना का संकेत दिया गया है, दरों की गणना 01-04-1979 से उन रैंकों के लिए देय परिलब्धियों के आधार पर की जा रही है। ज्ञापन केवल 01-04-1979 को या उसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले सेवा अधिकारियों तक ही सीमित था। इसलिए, उस ज्ञापन में 01-04-1979 से पहले के सेवानिवृत्त लोगों के लिए संशोधित पेंशन की गणना का कोई अवसर नहीं आया। यह नकारा निर्णय के परिणामस्वरूप ही है कि गणना के लिए समान उदारीकृत पेंशन फॉर्मूला 01-04-1979 से पहले के सभी सेवानिवृत्त लोगों पर भी लागू

होगा, उदारीकरण के आधार पर पहले के सेवानिवृत्त लोगों की पेंशन की पुनर्गणना का प्रश्न फार्मूला सामने आया और G.Os में यही किया गया है। दिनांक 22-11-1983 और 03-12-1983 को इन रिट याचिकाओं में चुनौती दी गई। यह तर्क देना दिनांक 28-09-1979 के ज्ञापन की गलत व्याख्या है कि नकारा निर्णय के परिणामस्वरूप उस ज्ञापन के परिशिष्ट 01-04-1979 से पहले के सेवानिवृत्त लोगों पर भी स्वचालित रूप से लागू हो गए। यह उस निर्णय में कुछ ऐसा पढ़ने जैसा है जो उसके अनुपात के विपरीत होगा।

ज्ञापन दिनांक 28-09-1979 जो पूर्व था। नकारा में पी-2 (एआईआर 1983 एससी 130) और जिस पर याचिकाकर्ताओं का दावा है कि वह इस प्रकार है:-

"तुरंत

क्रमांक बी/40725/ एसी/पीएस 4(सी)/1816/ ए/डी (पेंशन/सेवाएं)

भारत सरकार/भारत सरकार रक्षा मंत्रालय/रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली,

28 सितंबर, 1979।

प्रेषिति

थल सेनाध्यक्ष

नौसेना स्टाफ के प्रमुख

वायुसेनाध्यक्ष.

विषय: पेंशन फॉर्मूले का उदारीकरण - सेना अधिकारियों (सैन्य नर्सिंग सेवाओं के अधिकारियों के अलावा) और नौसेना और वायु सेना के संबंधित अधिकारियों के संबंध में स्लैब प्रणाली का परिचय।

महोदय,

मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि सरकार ने वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के माध्यम से आदेश जोरी किए हैं ओ.एम. क्रमांक एफ. 19(3)-ईवी/79, दिनांक 25 मई, 1979, नीचे दी गई स्लैब प्रणाली पर केंद्र सरकार के सिविल सेवकों की पेंशन निर्धारित करने के लिए:--

1. मासिक पेंशन की राशि

(ए) औसत परिलब्धियों में से 50 में से प्रथम पेंशन के लिए गणना योग्य 1000/- रुपये तक की औसत परिलब्धियाँ

(बी) अगले रु. 500/- औसत परिलब्धियों का 45 औसत परिलब्धियों का

(सी) औसत परिलब्धियों का शेष 40 औसत परिलब्धियों का

उपर्युक्त पेंशन निर्धारण के लिए स्लैब प्रणाली की शुरुआत के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति सेना अधिकारियों (सैन्य नर्सिंग सेवाओं के अधिकारियों को छोड़कर) और नौसेना और वायु सेना के संबंधित अधिकारियों की पेंशन दरों को संशोधित करने में प्रसन्न हैं जैसा कि एआई में दिया गया है। 3/एस/76 और संबंधित नौसेना और वायु सेना निर्देश,

और रक्षा मंत्रालय का पत्र संख्या एफ. 1(8)/70/डी (पेंशन/सेवाएं), दिनांक 17 जुलाई 1975, पेंशन की दर के मामले में उसी आधार पर चीफ ऑफ स्टाफ का सम्मान और पेंशन की संशोधित दरें इस पत्र से जुड़े क्रमशः परिशिष्ट ए, बी और सी में दर्शाई गई हैं।

2. पेंशन की नई दरें 1 अप्रैल, 1979 से प्रभावी हैं और उन सभी सेवा अधिकारियों पर लागू होंगी जो उस तारीख को या उसके बाद अप्रभावी हो गए थे।

3. तीनों सेवाओं के लिए पेंशन विनियमों में उचित समय पर संशोधन किया जाएगा।

4. यह वित्त (रक्षा) मंत्रालय की सहमति से उनके यू. 0. नंबर 2682/पेन ऑफ 1979 के तहत जोरी किया जाता है।

आपका विश्वासी,

एसडी/-

(शिव राज नफीर)

सरकारी उप - सचिव। भारत की"

(जोर दिया गया)

पेंशन के लिए गणना की जोने वाली औसत परिलब्धियों के आधार पर स्लैब प्रणाली पर उदारीकृत पेंशन फॉर्मूले के अनुसार सिविल सेवकों की पेंशन निर्धारित करने के लिए दिनांक 25-05-1979 के ज्ञापन का उल्लेख करने के बाद इस ज्ञापन में महत्वपूर्ण शब्द इस प्रकार हैं: -

"उपर्युक्त पेंशन निर्धारण के लिए स्लैब प्रणाली की शुरुआत के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति उसी आधार पर सेना अधिकारियों और नौसेना और वायु सेना के संबंधित अधिकारियों की पेंशन दरों को संशोधित करने में प्रसन्न हैं।"

उपरोक्त शब्दों में कोई संदेह नहीं है कि इस ज्ञापन के द्वारा सशस्त्र बलों के कर्मियों को उनकी पेंशन की गणना के लिए उदारीकृत पेंशन फॉर्मूला का वही लाभ दिया गया था जो सिविल सेवकों को उसी आधार पर दिया गया था। इसके बाद आने वाले शब्दों से संकेत मिलता है कि ज्ञापन से जुड़े परिशिष्ट ए, बी और सी में 01-04-1979 को देय गणना योग्य परिलब्धियों के आधार पर प्रत्येक रैंक के लिए उदारीकृत आधार पर गणना की गई पेंशन की संशोधित दरों को निर्दिष्ट किया गया था, जब ज्ञापन जोरी किया गया था। उदारीकृत योजना का लाभ केवल 01-04-1979 के बाद के सेवानिवृत्त लोगों को। ज्ञापन के संदर्भ से फाड़े गए इन परिशिष्टों को उनके मूल रूप में पढ़ने की कोई गुंजोइश नहीं है, जिसमें वे संलग्न थे। तो

पढ़ें, यह स्पष्ट है कि इस ज्ञापन के परिशिष्ट ए, बी और सी में दी गई गणना में केवल 01-04-1979 के बाद के सेवानिवृत्त लोगों के लिए सशस्त्र बलों के तीन विंगों के प्रत्येक रैंक के लिए उदारीकृत सूत्र के अनुसार गणना शामिल है।

यह इस प्रकार है कि नकारा (एआईआर 1983 एससी 130) निर्णय के परिणामस्वरूप जब उदारीकृत पेंशन योजना का लाभ सशस्त्र बलों के 01-04-1979 से पहले के सेवानिवृत्त लोगों के लिए भी लागू किया गया था, तो पूर्व के लिए उदारीकृत फार्मूले के अनुसार गणना की गई। 01-04-1979 से पहले के सेवानिवृत्त लोगों को उसी प्रकार बनाया जोना था जैसे कि 01-04-1979 के बाद के सेवानिवृत्त लोगों के लिए किया गया था और इस ज्ञापन के परिशिष्ट ए बी और सी में दिखाया गया है। यह आक्षेपित जी.आ.े.एस. दिनांक 22 11-1983 एवं 03-12-1983 द्वारा किया गया था।

याचिकाकर्ताओं का दावा है कि सशस्त्र बलों के सभी 01-04-1979 से पहले के सेवानिवृत्त लोग समान पेंशन के हकदार हैं जैसा कि प्रत्येक रैंक के लिए परिशिष्ट ए, बी और सी में दिखाया गया है, यह स्पष्ट रूप से अस्थिर है और नकारा के निर्णय से नहीं आता है (एआईआर 1983 एससी 130)

अब हम शेष विवादों से निपट सकते हैं। 1985 की रिट याचिका संख्या 4524 में, दावा की गई राहतों में से एक पारिवारिक पेंशन के लिए है। विद्वान सॉलिसिटर जनरल द्वारा यह बताया गया है कि भारत सरकार (रक्षा मंत्रालय) द्वारा ज्ञापन संख्या F6(2)/85/1689/B/D (पेंशन/सेवाएं) दिनांक में इसके लिए प्रावधान किया गया है। 08-08-1985 जो श्रीमती में न्यायालय के इस निर्णय के अनुपालन में जोरी किया गया है। पूनामल बनाम भारत संघ (1985) 3 एससीसी 345। वह शिकायत अब नहीं बची है। पूर्व सैनिक द्वारा इस रिट याचिका में दावा की गई अन्य राहतें अन्य रिट याचिकाओं के समान ही हैं।

इन रिट याचिकाओं में से एक प्रार्थना 01-04-1979 से पहले के सेवानिवृत्त लोगों को 01-04-1979 के बाद के सेवानिवृत्त लोगों के समान मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी देने के लिए की गई है। इसी तरह के एक दावे को इस न्यायालय ने राज्य सरकार पेंशनर्स एसोसिएशन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (1986) 3 एससीसी 501 में इस आधार पर खारिज कर दिया था कि ग्रेच्युटी का दावा केवल सेवानिवृत्ति की तारीख पर प्राप्त वेतन के आधार पर किया जा सकता है। सेवानिवृत्ति की तारीख और उस आधार पर पहले ही भुगतान किए जाने के कारण लेनदेन पूरा हो गया और बंद हो गया। बाद में सेवानिवृत्त होने वाले व्यक्तियों के लिए बाद की तारीख में की गई वृद्धि के परिणामस्वरूप इसे फिर से नहीं खोला जा सका। ग्रेच्युटी के पेंशन से अलग होने की अवधारणा को कृष्ण कुमार मामले (एआईआर

1990 एससी 1782) में संविधान पीठ द्वारा भी दोहराया गया है। आदरपूर्वक, हम इस दृष्टिकोण से पूर्णतः सहमत हैं। इसलिए याचिकाकर्ताओं का यह दावा भी विफल हो जाता है।

दूसरा दावा डी.ए. के विलय के लिए किया गया है। पीछे की ओर भी 01-01-1973 से सभी को डी.ए. का भुगतान किया जा रहा है। पेंशन के अतिरिक्त, गणना योग्य परिलब्धियाँ जो पेंशन की गणना का आधार हैं, सेवानिवृत्ति के समय देय परिलब्धियों के आधार पर ली जाती हैं और इसलिए, उस समय डी.ए. को शामिल करने का कोई आधार नहीं है जब इसका भुगतान नहीं किया गया था। यह दावा भी निराधार है।

याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने कुछ निर्णयों का उल्लेख किया जिन पर विस्तार से विचार करना अनावश्यक है क्योंकि उन्हें याचिकाकर्ताओं द्वारा सुझाए गए तरीके से केवल नकारा (एआईआर 1983 एससी 130) निर्णय को पढ़ने के लिए उद्धृत किया गया था। भारत संघ बनाम बिधुभूषण मलिक (1984) 3 एससीसी 95 में इस न्यायालय का निर्णय जिसके द्वारा एआईआर 1983 सभी 209 में रिपोर्ट किए गए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी गई थी, वर्तमान मामले में भी बहुत कम सहायता है। इस न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका को खारिज करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के इस विचार को बरकरार रखा कि उदासीन पेंशन 01-10-

1974 से उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) (संशोधन) अधिनियम, 1976 के तहत लागू हो गई और सभी सेवानिवृत्त उच्च न्यायालयों पर लागू हो गई। न्यायाधीशों को उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख के बावजूद 01-10-1974 से पहले की अवधि के लिए पेंशन की बकाया राशि के भुगतान का कोई सवाल ही नहीं है। हम इन रिट याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं के दावे का समर्थन करने के लिए इस मामले की गंभीरता की सराहना करने में असमर्थ हैं।

विद्वान सॉलिसिटर जनरल ने कहा है कि वर्तमान मामले में भारत सरकार (रक्षा मंत्रालय) द्वारा जोरी दिनांक 22-12-1983 (अनुलग्नक 1) और दिनांक 03-12-1983 (अनुलग्नक 11) का आक्षेपित जी.आ. नकारा (एआईआर 1983 एससी 130) में निर्णय के परिणामस्वरूप उदारीकृत पेंशन योजना के अनुसार सशस्त्र बलों के 01-04-1979 से पहले के सेवानिवृत्त लोगों की पेंशन की पुनर्गणना पर आधारित हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यदि किसी विशेष व्यक्ति या रैंक या अन्यथा के संबंध में गणना में कोई त्रुटि बताई जाती है, तो उसे तुरंत ठीक किया जाएगा। हमारे द्वारा उठाए गए उपरोक्त दृष्टिकोण पर, इन आदेशों को रद्द करने के लिए इन रिट याचिकाओं में की गई प्रार्थना को खारिज कर दिया जाना चाहिए। इसी कारण से, इसका परिणाम यह है कि सशस्त्र बलों के सभी 01-04-1979 से पहले के सेवानिवृत्त लोगों को 01-04-1979 के बाद के सेवानिवृत्त लोगों के

बराबर ही पेंशन का भुगतान किया जाना चाहिए, इसे भी अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए।

परिणामस्वरूप, ये रिट याचिकाएँ विफल हो जाती हैं और खारिज कर दी जाती हैं। कोई लागत नहीं.

याचिकाएं खारिज.

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी अश्वनी विज (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।